सप्तदश माला, खंड 7, अंक 1 शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020

11 माघ, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

मदन कुमार मिश्र
उप निदेशक

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2020 / 1941 (शक)

अंक 1, शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 / 11 माघ, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सत्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	4-39
लोक सभा के पदाधिकारी	40
मंत्रिपरिषद	41-48
राष्ट्रगान	50
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	50
राष्ट्रपति का अभिभाषण	50-74
सभा पटल पर रखे गए पत्र	75-76
राज्य सभा से संदेश	76
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पहले से चौथा प्रतिवेदन	77
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
117वां प्रतिवेदन	78

सत्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश सी. (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (जांजगीर-चांपा)

अजमल, श्री एम. बदरुद्दीन (धुबरी)

अधिकारी, श्री दिव्येन्दु (तामलुक)

अधिकारी, श्री दीपक (देव) (घाटल)

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार (कांथी)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अनुराधा, श्रीमती चिंता (अमलापुरम)

अन्नादुरई, श्री सी. एन. (तिरुवन्नामलाई)

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना (कोप्पल)

अम्बरीश, श्रीमती सुमलता (मान्डया)

अली, कुंवर दानिश (अमरोहा)

अहमद, श्रीमती साजदा (उलुबेरिया)

अहलुवालिया, श्री एस.एस. (बर्धमान-दुर्गापुर)

आज़ाद, श्रीमती संगीता (लालगंज)

आनन्द, श्री डी. एम. कथीर (वेल्लोर)

आरिफ, एडवोकेट ए.एम. (अलप्पुझा)

ईडन श्री हिबी (एरनाकुलम)

ईरानी, श्रीमती स्मृति जूबिन (अमेठी)

उइके, श्री दुर्गा दास (बैतूल)

उदासी, श्री एस. सी. (हावेरी)

उन्नीथन, श्री राजमोहन (कासरगोड)

उलाका, श्री सप्तगिरी शंकर (कोरापुट)

एन्टोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ओझा, श्रीमती क्वीन (गौहाटी)

ओराम, श्री जुएल (सुंदरगढ़)-

ओवैसी, श्री असादुद्दीन (हैदराबाद)

औजला, श्री गुरजीत सिंह (अमृतसर)

कटारा, श्री कनकमल (बांसवाड़ा)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटील, श्री नलीन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कठेरिया, डॉ. रामशंकर (इटावा)

कपूर, श्री किशन (कांगड़ा)

करूणानिधि, श्रीमती कनिमोझी (थूथुक्कुडी)

कश्यप, श्री धर्मेन्द्र (आंवला)

कश्यप, श्री सुरेश (शिमला)

कस्वां, श्री राहुल (चुरू)

काछड़िया, श्री नारणभाई (अमरेली)

कामैत, श्री दिलेश्वर (सुपौल)

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा (उदुपी चिकमगलूर)

किंजरापु, श्री राम मोहन नायडू (श्रीकाकुलम)

किशन, श्री रवि (गोरखपुर)

किशोर, श्री कौशल (मोहनलालगंज)

कीर्तिकर, श्री गजानन (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

कुंडारिया, श्री मोहनभाई (राजकोट)

कुन्हालीकुट्टी, श्री पी. के. (मलप्पुरम)

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री धनुष एम. (तेनकासी)

कुमार, श्री नरेन्द्र (झुन्झुनू)

कुमार, श्री पी. रविन्द्रनाथ (थेनी)

कुमार, श्री बंदी संजय (करीमनगर)

कुमार, श्री विजय (गया)

कुमार,श्री संतोष (पूर्णिया)

कुमारी, सुश्री दिया (राजसमन्द)

कुरियाकोस, एडवोकेट डीन (इडुक्की)

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह (मंडला)

कुशवाहा, श्री रविन्दर (सलेमपुर)

कैसर, चौधरी महबूब अली (खगड़िया)

कोटक, श्री मनोज (मुंबई उत्तर-पूर्व)

कोटागिरी, श्री श्रीधर (एलुरु)

कोडा, श्रीमती गीता (सिंहभूम)

कोल, श्री पकौड़ी लाल (राबर्ट्सगंज)

कोली, श्रीमती रंजीता (भरतपुर)

कोल्हे, डॉ. अमोल रामसिंह (शिरूर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र (सोनीपत)

खां, श्री मोहम्मद आजम (रामपुर)

खाडसे, श्रीमती रक्षा निखिल (रावेर)

खान, श्री अबू ताहेर (मुर्शिदाबाद)

खान, श्री सौमित्र (बिशनुपुर)

खालेक, श्री अब्दुल (बारपेटा)

खुबा, श्री भगवंत (बीदर)

खेर, श्रीमती किरण (चंडीगढ़)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गंभीर, श्री गौतम (पूर्वी दिल्ली)

गडकरी, श्री नितिन जयराम (नागपुर)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गल्ला, श्री जयदेव (गुंटूर)

गवली (पाटील), श्रीमती भावना (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्री राहुल (वायनाड)

गांधी, श्रीमती मेनका संजय (सुल्तानपुर)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री राजेन्द्र धेड्या (पालघर)

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार (नन्दुरबार)

गिल, श्री जसबीर सिंह (खडूर साहिब)

गीता विश्वनाथ, श्रीमती वांगा (काकीनाडा)

गुप्ता, श्री संगम लाल (प्रतापगढ़)

गुप्ता, श्री सुधीर (मन्दसौर)

गोगोई, श्री गौरव (कलियाबोर)

गोगोई, श्री तपन कुमार (जोरहाट)

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम (नासिक)

गोस्वामी, श्री दुलाल चन्द्र (कटिहार)

गौड़ा, श्री डी. वी. सदानन्द (बैंगलोर उत्तर)

गौतम, श्री सतीश कुमार (अलीगढ़)

घोष, श्री दिलीप (मेदिनीपुर)

चक्रवर्ती, सुश्री मिमी (जादवपुर)

चटर्जी, श्रीमती लॉकेट (हुगली)

चन्देल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह (हमीरपुर)

चन्द्र, श्री गिरीश (नगीना)

चन्द्रशेखर, श्री बेल्लाना (विज़यानगरम)

चाज़िकाडन, श्री थोमस (कोट्टायम)

चावड़ा, श्री विनोद लखमशी (कच्छ)

चाहर, श्री राजकुमार (फतेहपुर सीकरी)

चिखलीकर, श्री प्रतापराव पाटिल (नांदेड़)

चिदम्बरम, श्री कार्ती पी. (शिवगंगा)

चिनराज, श्री ए.के.पी. (नामाक्कल)

चुड़ासमा, श्री राजेश नारणभाई (जूनागढ़)

चेल्लाकुमार, डॉ. ए. (कृष्णागिरि)

चौधरी, श्री अधीर रंजन (बहरामपुर)

चौधरी, श्री अबु हसीम खान (माल्दहा दक्षिण)

चौधरी, श्री कैलाश (बाड़मेर)

चौधरी, श्री चंद्र प्रकाश (गिरिडीह)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पी. पी. (पाली)

चौधरी, श्री प्रदीप कुमार (कैराना)

चौधरी, श्री भागीरथ (अजमेर)

चौधरी, श्री संतोख सिंह (जालंधर)

चौधरी, सुश्री देबाश्री (रायगंज)

चौबे, श्री अश्विनी कुमार (बक्सर)

चौहान, श्री देवुसिंह (खेड़ा)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खण्डवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (गंगानगर)

जगतरक्षकन, श्री एस. (अराकोन्नम)

जटुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जयकुमार, डॉ. के. (तिरुवल्लूर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम (सूरत)

ज़लील, श्री सय्यद ईमत्याज (औरंगाबाद)

जहां, श्रीमती नुसरत (बसीरहाट)

जादौन, डॉ. चन्द्र सेन (फिरोजाबाद)

जाधव, डॉ. उमेश जी. (गुलबर्गा)

जाधव, श्री प्रतापराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री संजय (परभणी)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जावेद, डॉ. मोहम्मद (किशनगंज)

जिगाजिनागि, श्री रमेश चंदप्पा (बीजापुर)

जोतिमणि, सुश्री एस. (करूर)

जोल्ले, श्री अण्णासाहेब शंकर (चिक्कोडी)

जोशी, प्रो. रीता बहुगुणा (इलाहाबाद)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री सी. पी. (चित्तौड़गढ़)

जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह (टोंक-सवाई माधोपुर)

ज्ञानतिरावियम, श्री एस. (तिरूनेलवेली)

ज्योति, साध्वी निरंजन (फतेहपुर)

टम्टा, श्री अजय (अल्मोड़ा)

टुडु, इंजीनियर बिश्वेश्वर (मयूरभंज)

टेनी, श्री अजय मिश्र (खीरी)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर)

ठाकुर, श्री गोपाल जी (दरभंगा)

ठाकुर, श्री शान्तनु (बनगांव)

ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह (भोपाल)

डाभी, श्री भरत सिंहजी शंकरजी (पाटण)

तटकरे, श्री सुनील दत्तात्रेय (रायगढ़)

तडस, श्री रामदास (वर्धा)

तिरुमावलवन, डॉ. थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री मनीश (आनंदपुर साहिब)

तिवारी, श्री मनोज (उत्तर पूर्व दिल्ली)

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी (रामटेक)

तेली, श्री रामेश्वर (डिब्रूगढ़)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिपाठी, डॉ. रमापति राम (देवरिया)

त्रीपुरा, श्री रेबती (त्रिपुरा पूर्व)

थंगापंडियन, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची (चेन्नई दक्षिण)

थरूर, डॉ. शशि (तिरूवनन्तपुरम)

थिरुनवुक्करासर, श्री सु. (तिरुचिरापल्ली)

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दादाराव, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

दामोर, श्री गुमान सिंह (रतलाम)

दास, श्री पल्लब लोचन (तेजपुर)

दिलेर, श्री राजवीर (हाथरस)

दुग्गल, सुश्री सुनीता (सिरसा)

दुबे, डॉ. निशिकांत (गोड्डा)

दुबे, श्री विजय कुमार (कुशीनगर)

देओल, श्री सन्नी (गुरदासपुर)

देब, श्री नितेश गंगा (सम्बलपुर)

देलकर, श्री मोहनभाई सांजीभाई (दादरा एवं नागर हवेली)

देवरायालू, श्री लावू श्रीकृष्णा (नरसाराओपेट)

देवी, श्रीमती अन्नपुर्णा (कोडरमा)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवी, श्रीमती वीणा (वैशाली)

देवेन्द्रप्पा, श्री वाई. (बेल्लारी)

द्विवेदी, श्री हरीश (बस्ती)

धडुक, श्री रमेशभाई एल. (पोरबंदर)

धर्मापुरी, श्री अरविंद (निजामाबाद)

धानोरकर, श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण (चन्द्रपुर)

धोत्रे, श्री संजय शामराव (अकोला)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नवासखनी, श्री के. (रामनाथपुरम)

नाईक, श्री राजा अमरेश्वर (रायचूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागर, श्री मलूक (बिजनौर)

नागर, श्री रोड़मल (राजगढ़)

नाथ, श्री नकुल के. (छिंदवाड़ा)

नाथ, श्री बालक (अलवर)

नामग्याल, श्री जामयांग त्सेरिंग (लद्दाख)

निम्बालकर, श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक (माधा)

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल (हरिद्वार)

निषाद, श्री अजय (मुजफ्फरपुर)

निषाद, श्री प्रवीन कुमार (संत कबीर नगर)

नेते, श्री अशोक महादेवराव (गड़चिरोली-चिमुर)

पचौरी, श्री सत्यदेव (कानपुर)

पटेल (बकाभाई), श्री मितेश (आनंद)

पटेल, डॉ. के.सी. (वलसाड)

पटेल, श्री आर. के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री गजेन्द्र उमराव सिंह (खरगौन)

पटेल, श्री देवजी (जालौर)

पटेल, श्री परबतभाई सवाभाई (बनासकांठा)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (दमोह)

पटेल, श्री लालूभाई बी .(दमन और दीव)

पटेल, श्री हँसमुखभाई सोमभाई (अहमदाबाद पूर्व)

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया (मिर्जापुर)

पटेल, श्रीमती केशरी देवी (फूलपुर)

पटेल, श्रीमती शारदा ए. (महेसाणा)

पलानीमणिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावुर)

पवार, डॉ. भारती प्रवीण (दिन्डोरी)

पसुनूरी, श्री दयाकर (वारंगल)

पांडा, श्री बसंत कुमार (कालाहाण्डी)

पाटिल, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब (जलगाँव)

पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाटिल, श्री हेमन्त (हिंगोली)

पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर (भिवंडी)

पाटील, श्री बी. बी. (जहीराबाद)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (सतारा)

पाटील, श्री संजय काका (सांगली)

पाठक, श्री सुब्रत (कन्नौज)

पाठक, श्रीमती रीती (सीधी)

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ (चन्दौली)

पाण्डेय, श्री रितेश (अम्बेडकर नगर)

पाण्डेय, श्री संतोष (राजनंदगाँव)

पारस, श्री पशुपति कुमार (हाजीपुर)

पारिवेन्धर, डॉ. टी.आर. (पेरम्बलुर)

पार्थिबन, श्री एस.आर. (सलेम)

पाल, श्री कृष्ण (फरीदाबाद)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाला, श्री विनसेंट एच. (शिलौंग)

पासवान, श्री कमलेश (बासगाँव)

पासवान, श्री चिराग कुमार (जमुई)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पिन्टू, श्री सुनील कुमार (सीतामढ़ी)

पुजारी, श्री सुरेश (बारगढ)

पोथुगन्ती, श्री रामुलु (नगरकुरनूल)

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा (आरामबाग)

पोन, श्री गौतम सिगामणि (कल्लाकुरिची)

प्रकाश, एडवोकेट अदूर (अट्टिंगल)

प्रकाश, श्री जय (हरदोई)

प्रकाश, श्री सोम (होशियारपुर)

प्रथापन, श्री टी.एन. (त्रिस्सूर)

प्रसाद, श्री चंदेश्वर (जहानाबाद)

प्रसाद, श्री रवि शंकर (पटना साहिब)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रामाणिक, श्री निशीथ (कूचबिहार)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन. के. (कोल्लम)

फिरोजिया, श्री अनिल (उज्जैन)

फैजल पी.पी., श्री मोहम्मद (लक्षद्वीप)

फोज़, डॉ. लोरहो (बाह्य मणिपुर)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (आगरा)

बघेल, श्री विजय (दुर्ग)

बचेगौडा, श्री बी.एन. (चिकबल्लापुर)

बनर्जी, श्री अभिषेक (डायमण्ड हार्बर)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बनर्जी, श्री प्रसून (हावड़ा)

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बरुवा, श्री प्रदान (लखीमपुर)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (सम्भल)

बर्ला, श्री जॉन (अलीपुरद्वारस)

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद (पोन्नानी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र (भीलवाड़ा)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फिरोज़पुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापट, श्री गिरीश भालचन्द्र (पुणे)

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा (मावल)

बालियान, डॉ. संजीव (मुजफ्फरनगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरम्बुदुर)

बिधूड़ी, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

बिन्द, श्री रमेश (भदोही)

बिरला, श्री ओम (कोटा)

बिष्ट, श्री राजू (दार्जिलिंग)

बिसाई, श्रीमती प्रमिला (अस्का)

बिसेन, डॉ. ढालसिंह (बालाघाट)

बे, श्री होरेन सिंह (स्वशासी जिले)

बेहनन, श्री बैन्नी (चालाकुडी)

बैज, श्री दीपक (बस्तर)

बैनीवाल, श्री हनुमान (नागौर)

बोरदोलोई, श्री प्रद्युत (नौगोंग)

बोरलाकुंता, डॉ. वेंकटेश नेता (पेड्डापल्ली)

बोहरा, श्री रामचरण (जयपुर)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भट्ट, एडवोकेट अजय (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर)

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन (वडोदरा)

भरत, श्री मारगनी (राजामुन्दरी)

भाटिया, श्री संजय (करनाल)

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई (दाहोद)

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव (धुले)

भार्गव, श्री रमाकान्त (विदिशा)

भोलानाथ 'बी.पी. सरोज', श्री (मछलीशहर)

'भोले', श्री देवेन्द्र सिंह (अकबरपुर)

भौमिक, सुश्री प्रतिमा (त्रिपुरा पश्चिम)

मंडल, श्री अजय कुमार (भागलपुर)

मंडल, श्री रामप्रीत (झंझारपुर)

मंडल, श्री सुनील कुमार (वर्धमान पूर्व)

मंडल, श्रीमती मंजुलता (भद्रक)
मजूमदार, डॉ. सुकान्त (बालूरघाट)

मणिक्कम टैगोर, श्री बी. (विरुधुनगर)

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा (जयनगर)

मण्डावी, श्री मोहन (कांकेर)

मलोथू, श्रीमती क वता (महबूबाबाद)

मल्लाह, श्री कृपानाथ (करीमगंज)

मल्लिक, डॉ राजश्री (जगत संहपुर)

मसूदी, श्री हसनैन (अनन्तनाग)

महंत, श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री ज्योतिर्मय संह (पुरू लया)

महतो, श्री बिद्युत बरन (जमशेदपुर)

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मी कनगर)

महाजन, श्रीमती पूनम (उत्तर मध्य मुम्बई)

महाराज, डॉ0 स्वामी साक्षीजी (उन्नाव)

मांड लक, श्री संजय सदा शवराव (कोल्हापुर)

माझी, श्री रमेश चन्द्र (नबरंगपुर)

माडम, श्रीमती पूनमबेन (जामनगर)

माणे, श्री धैर्यशील संभाजीराव (हातकणंगले)

माधव, श्री कुरुवा गोरांतला (हिन्दुपुर)

माधवी, कुमारी गोड्डेति (अराकु)
मान, श्री भगवंत (संगरूर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई केन्द्रीय)

माल, श्री अ सत कुमार (बोलपुर)

मिश्र, श्री जनार्दन (रीवा)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मीणा, श्री अर्जुन लाल (उदयपुर)

मीना, श्रीमती जसकौर (दौसा)

मुंजपरा, डॉ. महेंद्रभाई कालूभाई (सुरेन्द्रनगर)

मुंडा, श्री अर्जुन (खूँटी)

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव (बीड)

मुनिस्वामी, श्री एस. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (वडाकरा)

मुर्मु, कुमारी चन्द्राणी (क्योंझर)

मुर्मु, श्री खगेन (माल्दहा उत्तर)

मेंढे, श्री सुनील बाबूराव (भन्डारा-गोंदिया)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मोइत्रा, सुश्री महुआ (कृष्णानगर)

मोदी, श्री नरेन्द्र (वाराणसी)

मोहंती, श्री अनुभव (केन्द्रपाड़ा)

मोहन, श्री पी.सी. (बैंगलोर केन्द्रीय)

मौर्य, डॉ. संघमित्रा (बदायूं)

यादव, श्री अखिलेश (आजमगढ़)

यादव, श्री अशोक कुमार (मधुबनी)

यादव, श्री कृष्ण पाल सिंह (गुना)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (मधेपुरा)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री राम कृपाल (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री श्याम सिंह (जौनपुर)

येपथोमी, श्री तोखेहो (नागालैण्ड)

रंगैय्या, श्री तालारी (अनन्तपुर)

रंजन, डॉ. आर. के. (आंतरिक मणिपुर)

रमेश, श्री टी. आर. वी. एस. (कुड्डालोर)

रविकुमार, डॉ. डी. (विलुपुरम)

रहमान, श्री खलीलुर (जंगीपुर)

रहमान, श्री हाजी फजलुर (सहारनपुर)

राऊत, श्री विनायक भाऊराव (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)

राघवन, श्री एम. के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राज, श्री प्रिंस (समस्तीपुर)

राजपूत, श्री मुकेश (फर्रूखाबाद)

राजा, श्री ए. (नीलगिरी)

राजू, श्री रघु राम कृष्ण (नरसापुरम)

राजेनिंबालकर, श्री ओम पवन (उस्मानाबाद)

राजोरिया, डॉ. मनोज (करौली-धौलपुर)

राठवा, श्रीमती गीताबेन वी. (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री दीपसिंह शंकरसिंह (साबरकांठा)

राठौड़, श्री रतनसिंह मगनसिंह (पंचमहल)

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन (जयपुर ग्रामीण)

राणा, श्रीमती नवनित रवि (अमरावती)

राम, श्री विष्णु दयाल (पलामू)

रामलिंगम, श्री एस. (मइलादुथरई)

राय (बनर्जी) श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राय, डॉ. जयंत कुमार (जलपाईगुड़ी)

राय, डॉ. राजदीप (सिल्चर)

राय, प्रोफेसर सौगत (दम दम)

राय, श्री नित्यानन्द (उजियारपुर)

राय, श्रीमती माला (कोलकाता दक्षिण)

राय, श्रीमती संध्या (भिंड)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद (तिरूपति)

राव, श्री सोयम बापू (आदिलाबाद)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिश्रिख)

रावत, श्री उपेंद्र सिंह (बाराबंकी)

रावत, श्री तीरथ सिंह (गढ़वाल)

रिजीजू, श्री किरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (सारण)

रेड़डप्प, श्री एन. (चित्तूर)

रेड्डी, डॉ. जी. रणजीत (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री अदला प्रभाकर (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री अनुमुला रेवंत (मल्काजगिरी)

रेड्डी, श्री उत्तम कुमार (नलगोन्डा)

रेड्डी, श्री कोथा प्रभाकर (मेडक)

रेड्डी, श्री कोमती रेड्डी वेंकट (भोंगीर)

रेड्डी, श्री जी. किशन (सिकन्दराबाद)

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन (राजमपेट)

रेड्डी, श्री पोचा ब्रह्मानंद (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू (ओंगोले)

रेड्डी, श्री मन्ने श्रीनिवास (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री वाई.एस. अविनाश (कडप्पा)

रेवन्ना, श्री प्रज्ज्वल (हसन)

लाल, श्री अक्षयवर (बहराइच)

लालरोसांगा, श्री सी. (मिजोरम)

लालवानी, श्री शंकर (इन्दौर)

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी (नई दिल्ली)

लोखंडे, श्री सदाशिव किसान (शिर्डी)

लोन, श्री अकबर (बारामूला)

वर्धन, डॉ. हर्ष (चाँदनी चौक)

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह (पश्चिमी दिल्ली)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती)

वर्मा, श्रीमती रेखा अरुण (धौरहरा)

वल्लभनेनी, श्री बालाशौरी (मछलीपटनम)

वसंतकुमार, श्री एच. (कन्याकुमारी)

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई (बारदौली)

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई (भरूच)

विखे पाटील, डॉ. सुजय (अहमदनगर)

विचारे, श्री राजन बाबूराव (ठाणे)

विष्णु प्रसाद, डॉ. एम.के. (अरानी)

वीरास्वामी, डॉ. कलानिधि (चेन्नई उत्तर)

वेंकटेशन, श्री एस. (मदुरै)

वेलुसामी, श्री पी. (डिण्डीगुल)

वैथिलिंगम, श्री वी. (पुडुचेरी)

शइकीया, श्री दिलीप (मंगलदोई)

शर्मा, डॉ. महेश (गौतम बुद्ध नगर)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (रोहतक)

शर्मा, श्री अनुराग (झाँसी)

शर्मा, श्री कुलदीप राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

शर्मा, श्री जुगल किशोर (जम्मू)

शर्मा, श्री रामस्वरूप (मंडी)

शर्मा, श्री विष्णु दत्त (खजुराहो)

शाह, श्री अमित (गांधीनगर)

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी (टिहरी गढ़वाल)

शिंगरी, डॉ. संजीव कुमार (कुरनूल)

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ (कल्याण)

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह (जोधपुर)

शेजवलकर, श्री विवेक नारायण (ग्वालियर)

शेट्टी, श्री गोपाल (मुम्बई उत्तर)

शेवाले, श्री राहुल रमेश (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी. (भावनगर)

श्रृंगरे, श्री सुधाकर तुकाराम (लातूर)

श्रीकंदन, श्री वी.के. (पालक्काड़)

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी (विजयवाड़ा)

षडङ्गी, श्री प्रताप चंद्र (बालासोर)

षणमुग सुंदरम, श्री के. (पोल्लाची)

संगमा, कुमारी अगाथा के. (तुरा)

सत्यनारायण, श्री एम.वी.वी. (विशाखापटनम)

सत्यवती, डॉ. बीसेट्टी वेंकट (अनाकापल्ले)

सदीक, श्री मोहम्मद (फरीदकोट)

सरकार, डॉ. सुभाष (बांकुरा)

सरकार, श्री जगन्नाथ (रणघाट)

सरनीया, श्री नव कुमार (कोकराझार)

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द (सीकर)

सरूता, श्रीमती रेणुका सिंह (सरगुजा)

सर्दिन्हा, श्री फ्रांसिस्को (दक्षिण गोवा)

सागर, श्री अरुण कुमार (शाहजहाँपुर)

सामंत, प्रोफेसर अच्युतानंद (कंधमाल)

साय, श्रीमती गोमती (रायगढ़)

सारंगी, श्रीमती अपराजिता (भुवनेश्वर)

साव, श्री अरुण (बिलासपुर)

सावंत, श्री अरविंद (मुम्बई दक्षिण)

साहू, श्री चंद्र शेखर (बरहामपुर)

साहू, श्री चुन्नी लाल (महासमुन्द)

साहू, श्री महेश (धेन्कानल)

सिंह ' ललन', श्री राजीव रंजन (मुंगेर)

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर (एटा)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलंगीर)

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ वी.के. (गाजियाबाद)

सिंह, डॉ. अमर (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, डॉ. जितेन्द्र (उधमपुर)

सिंह, डॉ. सत्यपाल (बागपत)

सिंह, राव इंद्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय (घोसी)

सिंह, श्री अर्जुन (बैरकपुर)

सिंह, श्री आर. के. (आरा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गौंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गिरिराज (बेगूसराय)

सिंह, श्री चन्दन (नवादा)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़-बारां)

सिंह, श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री बृजेन्द्र (हिसार)

सिंह, श्री भोला (बुलंदशहर)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री रवनीत (लुधियाना)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (लखनऊ)

सिंह, श्री राजबहादुर (सागर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चंपारण)

सिंह, श्री लल्लू (फैजाबाद)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (बलिया)

सिंह, श्री सुनील कुमार (चतरा)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती कविता (सिवान)

सिंह, श्रीमती हिमाद्री (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी. एम. (दावनगेरे)

सिन्हा, श्री जयंत (हज़ारीबाग)

सिम्हा, श्री प्रताप (मैसूर)

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह (महाराजगंज)

सुधाकरन, श्री के. (कन्नूर)

सुप्रियो, श्री बाबुल (आसनसोल)

सुब्बा, श्री इंद्रा हांग (सिक्किम)

सुब्बारायण, श्री के. (तिरूप्पुर)

सुमन, डॉ. आलोक कुमार (गोपालगंज)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीक्करा)

सुरेश, श्री डी.के. (बंगलौर ग्रामीण)

सुरेश, श्री नंदीगम (बापतला)

सुले, श्रीमती सुप्रिया सदानंद (बारामती)

सूर्या ,श्री तेजस्वी (बंगलौर दक्षिण)

सेंथिलकुमार एस., श्री डी.एन.वी. (धर्मापुरी)

सेठ, श्री संजय (राँची)

सेठी, श्रीमती शर्मिष्ठा (जाजपुर)

सेल्वम, श्री जी. (कांचीपुरम)

सेल्वराज, श्री एम. (नागापट्टिनम)

सैनी, श्री नायब सिंह (कुरुक्षेत्र)

सोनकर, श्री विनोद कुमार (कौशाम्बी)

सोनी, श्री सुनील कुमार (रायपुर)

सोरेन, श्री सुनील (दुमका)

सोलंकी, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)

सोलंकी, श्री महेंद्र सिंह (देवास)

स्वामी, श्री ए. नारायण (चित्रदुर्ग)

स्वामीजी, डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य (शोलापुर)

हंस, श्री हंस राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

हरिदास, कुमारी राम्या (अलथूर)

हसन, डॉ. एस.टी. (मुरादाबाद)

हांसदाक, श्री विजय कुमार (राजमहल)

हेगड़े, श्री अनंतकुमार (उत्तर कन्नड़)

हेमामालिनी, श्रीमती (मथुरा)

हेम्ब्रम, श्री कुनार (झाडग्राम)

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

मंत्रिपरिषद

कैबिनेट मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी	प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारीः (1) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; (2) परमाणु ऊर्जा विभाग; (3) अंतरिक्ष विभाग; और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं।
श्री राज नाथ सिंह	रक्षा मंत्री
श्री अमित शाह	गृह मंत्री
श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा	रसायन और उर्वरक मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री
श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री रविशंकर प्रसाद	विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्री
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री अर्जुन मुंडा	जनजातीय कार्य मंत्री
श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी	महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. हर्ष वर्धन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

श्री पीयूष गोयल	रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री प्रह्लाद जोशी	संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
श्री गिरिराज सिंह	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष कुमार गंगवार	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
राव इंद्रजीत सिंह	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. जितेन्द्र सिंह	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
श्री किरेन रिजीजू	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री आर. के. सिंह	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरदीप सिंह पुरी	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनसुख एल. मांडविया	पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार चौबे	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्ण पाल	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दानवे रावसाहेब दादाराव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जी. किशन रेड्डी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री परषोत्तम रूपाला	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
साध्वी निरंजन ज्योति	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बाबुल सुप्रियो	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. संजीव कुमार बालियान	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संजय शामराव धोत्रे	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश सी. अंगड़ी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नित्यानंद राय	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रतन लाल कटारिया	जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. मुरलीधरन	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती रेणुका सिंह सरूता	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सोम प्रकाश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रामेश्वर तेली	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कैलाश चौधरी	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
सुश्री देबाश्री चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

खंड 7 सत्रहवीं लोकसभा के तीसरे सत्र का पहला दिन अंक 1

लोक सभा

<u>शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 / 11, माघ 1941 (शक)</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

<u>अपराह्न 12.46 बजे</u>

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : श्री अतुल कुमार सिंह जी

उत्तर प्रदेश

श्री अतुल कुमार सिंह *उर्फ* अतुल राय (घोसी) - प्रतिज्ञान - हिंदी

<u>अपराह्न 12.47 बजे</u>

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी-1697/17/20 ।

महासचिव : मैं राष्ट्रपति जी द्वारा 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

*माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।

यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में, हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।

चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो,बाबासाहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण,भारत का संविधान, इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही, 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने, सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।

हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमारा संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा

* भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द ने केंद्रीय कक्ष में हिंदी में अभिभाषण दिया और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा अभिभाषण का अंग्रेजी पाठ पढ़ा गया।

स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इसके साथ ही हमारा संविधान,इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।

माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।

मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंट संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून,जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।

संविधान द्वारा अपेक्षित इस दायित्व को निभाने के लिए, मैं संसद के हरेक सदस्य का अभिनंदन करता हूं।

माननीय सदस्यगण, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।

एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।

एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों,दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।

एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा

एक ऐसा नया भारत,जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।

माननीय सदस्यगण, ऐसे नए भारत के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, मेरी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूविंग बिज़नेस की रैंकिंग में भारत 79 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आज 63वें स्थान पर है। रिज़ाल्विंग इनसॉल्वेंसी की रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से 52वें स्थान पर और ग्लोबल इन्नोवेशन रैंकिंग में देश 74वें से 52वें स्थान पर पहुँच गया है। लॉजिस्टिक्स परफार्मेंस इंडेक्स में भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 10अंकों का सुधार किया है। विश्व आर्थिक मंच की ट्रेवल एंड टूरिज़्म कॉम्पटीटिवनेस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।

अलग-अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतरराष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं।

माननीय सदस्यगण,मेरी सरकार, **‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'** के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है।

माननीय सदस्यगण,बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, लोकसभा में कहा था कि- **"एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं?"**

आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण,जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।

राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।

वर्ष 2018 के अंत में जम्मू-कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहाँ 300 से अधिक ब्लॉक विकास परिषदों के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहाँ के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए नैफेड को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता ने तथा सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने, देशवासियों की अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं और सरकार का दायित्व भी।

देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।

देश के किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों की अपेक्षा थी कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता के लिए पेंशन योजना शुरू हो। मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इच्छा को पूरा किया बल्कि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब 60 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

पूज्य बापू ने स्वच्छता को ईश्वर की उपासना से बढ़कर बताया था। पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है। अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गांवों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं।

माननीय सदस्यगण, आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। घर में पानी के न होने से हमारी बहनों-बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही, दूषित पानी से पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस अभियान को जन-आंदोलन में बदल रही हैं। इस योजना पर आने वाले समय में 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरी सरकार ने, देश के सबसे संकटग्रस्त ऐसे सात राज्यों में जहां भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेष तौर पर अटल भूजल योजना शुरू की है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का सबका साथ - सबका विकास - सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रत्येक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। मेरी सरकार मानती

है कि जैसे समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वैसे ही विकास में पीछे रह गए क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाए।

देश के 112 जिलों को एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट - आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का तालमेल बिठाकर सही नियुक्तियां की गईं। इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ है और कई जिले अब अपने राज्य के औसत के बराबर आ चुके हैं। मैं प्रत्येक आकांक्षी जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सदस्यगण, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को, दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। वर्ष 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के 'हलोंगी' में बन रहे नए एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ़ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा।

पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के

लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

माननीय सदस्यगण,देश के आदिवासी भाई-बहनों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है।पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। सरकार द्वारा कुछ सप्ताह पहले ही, देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल खोलने का अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाला आरक्षण भी, अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,मेरी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हुनर हाट के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख 65 हजार हुनरमंद कारीगरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की शिक्षा निर्बाध जारी रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी गयी है।

मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आशाओं-अपेक्षाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। आरक्षण में वृद्धि, कानूनी अधिकार में वृद्धि के साथ ही सरकार ने एक हजार से ज्यादा सरकारी भवनों और 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया है। बीते 5 वर्षों में

हजारों कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को लगभग 900 करोड़ रुपए के उपकरण उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को ई-विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक विशेष प्रयास शुरू किया था भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 6 हजार शब्दों की एक विशेष डिक्शनरी बनाई जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण,भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। लेकिन विभाजन के समय सबसे ज्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- **"पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।"** पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, उनकी इच्छा को पूरा किया गया है। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं।

माननीय सदस्यगण, हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है। हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।

मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी

वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।

माननीय सदस्यगण, भारतभूमि के महान संत कवि, थिरुवल्लुवर ने कहा था -

'उर्रुवार उलगत्तार्क आणिअ: ताट्राद, एर्रुवारै एल्लाम् पोरुत्त'

अर्थात, "किसान, धुरी की कील के समान है जो पूरे विश्व को संभालकर रखता है। वह उन सबके भार का वहन करता है जो खेती नहीं कर सकते ।"

हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा आय केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है।

मेरी सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार खेती के वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रही है। क्लस्टर आधारित बागवानी के साथ ही ऑर्गेनिक खेती के प्रचार और प्रसार पर भी काम हो रहा है। शहद उत्पादन को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों से शहद उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहद का निर्यात भी दोगुने से अधिक हो गया है। इसी उपलब्धि को और बढ़ाने के लिए नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन को स्वीकृति दी गई है।

नए मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछुआरों की आय और मछली का उत्पादन,दोनों को दोगुना करने का लक्ष्य है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं के खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, प्राकृतिक आपदा से किसान को राहत दिलाने के लिए मेरी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।

किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि ई-नाम (ई-एनएएम) का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1 करोड़ 65 लाख किसान एवं करीब सवा लाख व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में ई-नाम (ई-एनएएम) को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा नई मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है।

माननीय सदस्यगण, व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश,दोनों के विकास पर पड़ता है। मेरी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समग्रता के साथ काम कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और क्यूरेटिव हेल्थकेयर,हर स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान,

फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो रही हैं।

आयुष्मान भारत योजना का व्यापक असर देश के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके साथ ही 27 हज़ार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी तैयार हो चुके हैं।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।

मेरी सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार एम.बी.बी.एस. और 4 हज़ार से अधिक पी.जी. सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 एम्स की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।

मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरी सरकार ने सिर्फ एक रुपये में **'सुविधा'** नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने की भी शुरुआत की है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से, महिला उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान से अभी तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार अंडर ग्राउंड माइन्स में तथा ओपन कास्ट माइन्स में महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की अनुमति दी गई है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश में 6 सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है। ऐसे मामलों में न्याय तेज़ी से मिले, इसके लिए देशभर में 1 हज़ार से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। यह भी तय किया गया है कि महिला हेल्प डेस्क का विस्तार, देश के हर पुलिस स्टेशन में किया जाए। बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों में सरकार ने फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया है।

माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जाता है और सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में युवा लीडरशिप तैयार करने पर भी है। इस दशक में रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र का नेतृत्व हमारे देश के युवा ही करेंगे। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का लाभ युवा शक्ति को निरंतर मिल रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों में देश में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

स्किल इंडिया अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वरोज़गार के लिए जरूरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही है। उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण – एच.ई.एफ.ए. के माध्यम से देश के 75 शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 37 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 7 हजार और उच्च शिक्षा में 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 'स्वयं 2' की शुरूआत भी की गई है।

मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।

माननीय सदस्यगण, खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की पूरी संभावना हमारे युवाओं में है। खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक पोडियम स्कीम सहित अनेक योजनाओं के तहत, युवा टैलेंट की पहचान की जा रही है, उन्हें उच्च स्तर पर मुकाबले के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।

माननीय सदस्यगण, इस वर्ष एक अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की सौवीं पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाला कालजयी आह्वान किया था। स्वराज की सिद्धि के बाद देश ने सुराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सुराज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेरी सरकार तीन स्तरों पर कार्य कर रही है:

· पहला- सरकार की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन तथा संगठनों का सशक्तीकरण,

· दूसरा- पारदर्शिता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल,

· और तीसरा- जमीनी स्तर पर स्वस्थ स्पर्धा और जनभागीदारी को बढ़ावा।

माननीय सदस्यगण, "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक सुधार किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए साइलोज (अलग-थलग रहने की प्रवृत्ति) का समाप्त होना और विभागों में समन्वय बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले वर्ष अक्तूबर में सिविल सेवा की 20 से अधिक सेवाओं के अफसरों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल ही में भारतीय रेल के प्रबंधन को भी पुनर्गठित किया गया है। देश के अलग-अलग ट्राइब्यूनल्स और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसके लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को भी सुधारा जा रहा है। योजनाओं को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया है। सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय एवं जलशक्ति मंत्रालय का गठन इसी सोच का उदाहरण है।

माननीय सदस्यगण, सरकारी सेवाओं और सरकारी लाभ की तेज और सटीक डिलिवरी मेरी सरकार की विशेषता रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर सुशासन का आधार बनाया गया है। पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के बैंक खाते में शत प्रतिशत राशि का ट्रांसफर और योजनाओं की मॉनीटरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया है। अब इस दशक में यही टेक्नोलॉजी, देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी उनकी मदद करेगी।

माननीय सदस्यगण, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 का आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है। मेरी सरकार द्वारा 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल एक्सेस, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। देश को इस बात पर गर्व है कि पिछले पाँच वर्षों में भारत में विकसित हुई डिजिटल व्यवस्थाएं, विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

माननीय सदस्यगण, आज देश में 121 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है। दिसंबर 2019 में यू.पी.आई. के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। हाल ही में सरकार ने भीम ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च किया है।

जे.ए.एम. यानि जनधन-आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा अपनी लगभग 450 योजनाओं को डी.बी.टी. -प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ा जा चुका है। डी.बी.टी. के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानि जी.ई.एम. ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है। जी.ई.एम. से छोटे और लघु उद्यमियों को जहाँ सरकार के रूप में बहुत बड़ा बाज़ार मिला है वहीं इससे सरकार की पहुँच सीधे उद्यमी तक हुई है। पिछले तीन साल में सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा जी.ई.एम. के माध्यम से लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है।

टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। अब हम इनकम टैक्स विभाग में भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां मानव दखल यानि ह्यूमन इंटरफेस न हो। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स विभाग की कार्यसंस्कृति में बड़ा सुधार आएगा।

माननीय सदस्यगण, शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है। इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन सेंटरों के माध्यम से सरकार अपनी 45 से ज्यादा सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रही है।

माननीय सदस्यगण, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करते हुए मेरी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व संगठित व्यवस्था विकसित कर रही है।

देश में सीमलेस मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन पहले वन नेशन, वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में, यातायात के अलग-अलग माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विकसित हुई है। सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत भी की जा रही है। वन नेशन वन टैक्स यानि जी.एस.टी. ने भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब जी.एस.टी. नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है।

माननीय सदस्यगण, भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के बीच विकास की योजनाओं में स्पर्धा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनुभव का लाभ दूसरे राज्यों को भी दें। मेरी सरकार इसलिए प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर निरंतर बल देती रही है। सरकार द्वारा राज्यों को, जिले और गाँव के स्तर पर रियल टाइम डेटा से मिलने वाली रैंकिंग प्रदान की जा रही है। इसका प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, कारोबारी सुगमता (ईज़ ऑफ डूविंग बिज़नेस) तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम तक में नजर आता है।

सरकारें सही योजनाएं बना सकें और लक्ष्य केंद्रित कार्य कर सकें इसके लिए जनगणना से मिली जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनगणना में इस बार यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसलिए जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच मेरी सरकार निजता के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार संसद में डेटा संरक्षण विधेयक लेकर आई है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफ.डी.आई. भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच एफ.डी.आई. 3 अरब डॉलर बढ़ा है।

वहीं, पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंकों के विलय से बैंक सुदृढ़ हुए हैं और ऋण देने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।

माननीय सदस्यगण, अर्थव्यवस्था की गति एवं मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार मेक इन इंडिया को सशक्त कर रही है। सरकार द्वारा तमिलनाडु और यूपी में दो डिफेंस कॉरिडोर और देश में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग में भारत विशेष रूप से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फोन,टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मैन्युफेक्चरिंग को और गति देने के लिए नेशनल

पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई है। वर्ष 2014-15 में देश में जहां करीब 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 4 लाख 58 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

माननीय सदस्यगण, आजादी के मूलमंत्र में एक भावना थी- आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तब बनता है जब हर भारतीय, भारत में बनी हर वस्तु पर गर्व करे। मेरी सरकार **'उज्ज्वल कल के लिए लोकल'** के मंत्र पर विश्वास करती है। मैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से, देश की हर सरकार से आग्रह करता हूं कि 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' को एक आंदोलन में परिवर्तित करें। मैं प्रत्येक भारतीय से भी आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।

माननीय सदस्यगण, देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो,ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे। कनेक्टिविटी पर विशेष बल देते हुए, नए हाईवेज, नए वाटरवेज, नए एयरवेज, नए आईवेज के निर्माण पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए देश के कोने-कोने तक ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है। इन सड़कों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें स्कूल, अस्पताल व मंडियों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इसके तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा।

सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे -2 के जरिए असम के पांडू तक कार्गो कंटेनर पहुंचा है। इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल और फरक्का पर नैविगेशन लॉक पूरा कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो भी चलाये जा सकें।

शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है।।

माननीय सदस्यगण, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहर, एक नई भूमिका के साथ उभर रहे हैं। स्वच्छता हो, सुविधाएं हों, स्टार्ट अप हों या फिर दूसरा कारोबार, छोटे शहरों की प्रगति उत्साहवर्धक है। साल 2014 के बाद से ही छोटे शहरों में स्टार्ट-अप्स की 45 से 50 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है। इसी तरह उड़ान योजना के तहत करीब 35 लाख लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 335 नए हवाई मार्गों की अनुमति दी गयी है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में, देश का आधे से ज्यादा डिजिटल लेन-देन इन्हीं टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में होगा।

छोटे शहरों और नए मध्यम वर्ग के विकास को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा उनकी अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने से भी सबसे अधिक लाभ छोटे शहरों के मध्यम वर्ग को हुआ है। मध्यम वर्ग के जिन परिवारों की आय 18 लाख रुपए तक की है, उन्हें 20 वर्ष तक के होमलोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। घरों को बनाने की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 25 हज़ार करोड़ रुपए के फंड की जो व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, स्वच्छ ऊर्जा यानि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अब देश के 407 जिलों में विस्तार किया जा रहा है। अब हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।।

मेरी सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के माध्यम से देश में किसानों को 17 लाख से ज्यादा सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम के दूसरे चरण में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है।

माननीय सदस्यगण, देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है।

वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए, देश के 102 शहरों में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लागू करने जा रही है। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।

इन सारे प्रयासों का असर देश के पर्यटन क्षेत्र पर भी दिख रहा है। बीते कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। हाल में देश की हैरिटेज बिल्डिंग्स के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कोलकाता से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से तैयार हो रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पर्यटन सेक्टर को मजबूती मिल रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सरदार पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या भी नित नए रिकॉर्ड बना रही है।

माननीय सदस्यगण, देश की विरासत के संरक्षण और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करने को मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग मानती है। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में हमारी आदिवासी वीरांगनाओं एवं वीरों के सशक्त योगदान को समर्पित म्यूजियम्स का निर्माण, देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 में महान समाज सुधारक और देश को दिशा दिखाने वाले राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती भी भव्यता के साथ मनाई जाएगी।

माननीय सदस्यगण, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम-गगनयान और आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।

माननीय सदस्यगण, बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ - सी.डी.एस. की नियुक्ति और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे तीनों सेनाओं में समन्वय भी बढ़ेगा और सेनाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज़ होगी।

भारत की सेनाओं और सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण तथा बुलेट प्रूफ जैकेट हों,इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक रायफल एके203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जब तेजस के नौसेना प्रोटोटाइप ने आई.एन.एस. विक्रमादित्य पर लैंडिंग की और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठा था। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ए-सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है ये जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार के निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विदेश नीति को, देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू मानती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास और संपन्नता को गति दे रहे हैं। "पड़ोसी सबसे पहले" (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं।

भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सी.डी.आर.आई. यानि आपदा रोधी बुनियादी ढांचा संबंधी सहयोग (कॉलिशन ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर) नाम की वैश्विक साझेदारी की पहल की है। आपदा से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से एक संवेदनशील विश्व शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और सशक्त होने जा रही है।

माननीय सदस्यगण, जो दशक अभी शुरू हो रहा है, वह आने वाले समय में, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा।इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।

देशहित के लिए देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तथा यह कर्तव्य बोध हमारे नागरिक जीवन की प्राथमिकता बने, इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए । आइए, हम सब 2020 के दशक को कर्तव्यों का दशक बनाएं ।

हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं । हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है।

मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे ।

आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं ।

जयहिंद !!!

अपराह्न 12.49 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएँगे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (खंड एक और खंड दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एलटी 1698/17/20]

(2) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक16) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एलटी 1699/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसंबर, 2019 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

(संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 16)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2020 को प्रख्यापित खनिज विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एलटी 1700/17/20]

अपराह्न 12.50 बजे

राज्य सभा से संदेश

[हिन्दी]

महासचिव : महोदय, मैं 12 दिसम्बर, 2019 को राज्य सभा द्वारा यथापारित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 सभा पटल पर रखती हूं।

<u>अपराह्न 12.50 ½ बजे</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति</u>

पहले से चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

*(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन स्टोर्स विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन और सैनिक विद्यालय (मांग सं. 18 और 21)' पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन।

*(2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20) पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।

* (3) 'रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।

* (4) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (अनुदान सं. 19 और 20) पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

---

* ये प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2019 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए तथा दिनांक 13.12.2019 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए।

<u>अपराह्न 12.51 बजे</u>

<u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति</u>

117वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मापुरी): महोदय, मैं सहयोग एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 117वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल शनिवार, 1 फरवरी, 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.52 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 1 फरवरी, 2020 / 12 माघ, 1941 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित